जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला कोटपूतली–बहरोड

(सामुदायिक भवन परिसर , कोटपूतली)
ईमेलः dlsa41kotputli@gmail.com

क्रमांक : 02 | दिनांक : 16.01.2026

पैरालीगल वोलेन्टीयर्स के चयन हेतु आम सूचना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी किये गये Scheme for Para Legal Volunteers (Revised) & NALSA (Legal Services Clinics in Universities, Law Colleges and other Institutions) Scheme, 2013 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार विधिक सेवा कार्यक्रमों के कियान्वयन तथा विधिक जागरूकता के प्रचार–प्रसार हेतु पैरालीगल वॉलेटीयर्स (पी.एल.वी.) के पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटपूतली तथा अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में निम्नानुसार पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स की नियुक्ति की जानी हैः–

क्र.सं.	स्थान	संख्या
1.	जिला मुख्यालय कोटपूतली	06
2.	तालुका विधिक सेवा समिति बहरोड	02
3.	तालुका विधिक सेवा समिति बानसूर	01
4.	तालुका विधिक सेवा समिति विराटनगर	03
5.	पंचायत समिति पावटा	02
6.	पंचायत समिति नीमराणा	03
	कुल	**17**

पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटपूतली के निर्देशों के अनुसार विधिक जागरूकता शिविर एवं अन्य कार्य करेंगें। पैरा लीगल वॉलेन्टयर्स विधिक सेवा क्लिनिक का संचालन करेंगें तथा आमजन एवं विधिक सेवा संस्थाओं के मध्य कडी का कार्य करेंगें व पैरालीगल वॉलीन्टयर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। **पीएलवी की नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिये की जावेगी।**

1. **शैक्षणिक योग्यताः–** आवेदक का शिक्षित होना तथा दसवीं की परीक्षा उत्तीण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढने की अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

2. **आवेदन पत्रः–** इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगें।

3. **परीक्षाः–** अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने पर उनकी संख्या को देखते हुए उनको शोर्टलिस्ट करने के लिये चयन समिति द्वारा उचित प्रकिया अपनाई जायेगी तथा उसके पश्चात साक्षात्कार लिया जाकर उनका चयन किया जायेगा। आवेदकों का प्रशिक्षण हेतु चयन करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा।

4. **चरित्र प्रमाण पत्रः–** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

5. **शारीरिक योग्यताः** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–कोटपूतली–बहरोड़

6. **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावें:—**

1— जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

2— शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।

3— दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

4— आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।

5— जाति प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति।

6— आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।

7. **पात्रता:** पी.एल.वी. का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उन्हें शोर्टलिस्ट कर साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. के लिये निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हो सकते हैं:—

1. सेवानिवृत शिक्षक या राजकीय कर्मचारी
2. वरिष्ठ नागरिक
3. एम.एस.डबल्यू छात्र/ छात्राएं व अध्यापक
4. आंगनबाडी कार्यकर्ता
5. डाक्टर/फिजिशियन
6. छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लॉयर (वकालत) के लिए एनरोल न हो)
7. गैर राजनीतिक स्वयं सेवा समूह, सेवा हेतु समर्पित एनजीओ एवं क्लब के सदस्यगण
8. महिला संगठनों के कार्यकर्ता, मैत्री संगम
9. पिछडे तबकों के लिये कार्य कर रहे स्वयं सेवा समूहों के सदस्यगण
10. समाजसेवी व सामाजिक कार्यकर्ता
11. शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो
12. अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझे।

8. **आवेदन की अन्तिम तिथि:—** पैरालीगल वॉलियन्टर्स के पद हेतु इच्छुक व्यक्ति जो उपरोक्त वर्णित योग्यता रखता हो, अपने कार्य क्षेत्र का चयन करते हुए निर्धारित आवेदन पत्र में अपना **आवेदन अंतिम दिनांक 23.01.2026 को सायं 5.00 बजे तक** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटपूतली/तालुका विधिक सेवा समिति बहरोड/बानसूर/विराटनगर/ सिविल न्यायाधीश नीमराणा/पावटा में प्रस्तुत कर सकते है। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन निःशुल्क होगा।

चयनित पी.एल.वी के कर्त्तव्य (ड्यूटी):

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
2. विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समय अवधि में उपस्थित रहेगा।
3. आम नागरिक के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
4. पी.एल.वी. अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी देगा, इनका प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं रखेगा।
5. केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवदेनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पीएलवी निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा।
6. प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायेगा।
7. लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

औपचारिकतायें पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।

8. पीएलवी द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
9. पीडित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
10. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, रैन बसेरे, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
11. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देना।
12. विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि–लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
13. पीएलवी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
14. पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल, बैंक एवं वित्तीय संस्था, आवासीय, लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, आवास और भू–सम्पदाओं से संबंधी सेवाओं के विवाद बिना खर्च के निस्तारित होते है।
15. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटपूतली जिला द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मैटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।

9. स्पष्टीकरण :

- चयनित पी.एल.वी. को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निर्धारित मानदेय (Honorarium) के अलावा अन्य किसी प्रकार का वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा।
- साक्षात्कार हेतु कोई खर्चा देय नहीं होगा।

10. साक्षात्कार : आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के बाद साक्षात्कार हेतु जो अभ्यर्थी प्रोविजनली योग्य पाये जायेंगे, उनके साक्षात्कार की तिथि व स्थान सुनिश्चित कर जिला एवं सैशन न्यायालय, कोटपूतली की वेबसाइट ''**https://kotputlibehror.dcourts.gov.in/** '' पर अपलोड की जाएगी, इस हेतु अलग से कोई सूचना पत्र या बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे सतत् रूप से उपरोक्त वेबसाइट पर विजिट करते रहे। साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने मात्र से किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, योग्यता का अंतिम निर्धारण साक्षात्कार के पश्चात किया जाएगा। समस्त आवेदनकर्ता कोटपूतली न्याय क्षेत्र की वेबसाईट समय समय पर विजिट करते रहे।

11. नोटः

1. **निम्नलिखित व्यक्ति पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैः–**
अधिवक्तागण, राजनीतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुडे हुए व्यक्ति, राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति, किसी अपराध का अभियुक्त हो, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से पैरालीगल वॉलेन्टीयर का कार्य करने में असक्षम हों, ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स स्कीम के हितों को प्रभावित करते हों।
2. पी.एल.वी. की नियुक्ति तथा हटाने से संबंधित सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, जिला

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कोटपूतली बहरोड़

विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटपूतली के पास सुरक्षित है।

3. आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला कोटपूतली–बहरोड

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–कोटपूतली–बहरोड़

क्रमांकः– 109-123 दिनांकः– 16.01.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सैशन न्यायालय, कोटपूतली वेबसाईट अपलोड करने हेतू।
2. नोटिस बोर्ड जिला एवं सेशन न्यायालय कोटपूतली/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटपूतली
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक कोटपूतली
4. नोटिस बोर्ड, नगर परिषद कोटपूतली।
5. नोटिस बोर्ड, तालुका विधिक सेवा समिति परिसर, बानसूर/बहरोड/विराटनगर।
6. नोटिस बोर्ड, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमराणा/पावटा
7. नोटिस बोर्ड उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली/बानसूर/बहरोड/विराटनगर/नीमराणा/मांढण/पावटा
8. नोटिस बोर्ड, समस्त पुलिस थाना, जिला कोटपूतली बहरोड
9. नोटिस बोर्ड समस्त पंचायत समिति जिला कोटपूतली बहरोड।
10. नोटिस बोर्ड विभिन्न विधि महाविद्यालय जिला कोटपूतली।
11. नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन, कोटपूतली/बहरोड/बानसूर/विराटनगर

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला कोटपूतली–बहरोड

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–कोटपूतली–बहरोड़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटपूतली
पैरा लीगल वॉलियन्टर्स (पी.एल.वी.) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

		आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो

1.	आवेदक का नाम	:...
2.	पिता/पति का नाम	:...
3.	संवर्ग–सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग. (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें)	:...
4.	जाति	:...
5.	स्थायी पता मय दूरभाष/	:... ....
	मोबाईल नम्बर	:...
6.	आवेदककर्ता का गांव/पंचायत समिति/तालुका का नाम	:...
7.	वर्तमान पता	:... ....
8.	निकटतम पुलिस स्टेशन	:...
9.	जन्म तिथि (अंकों में)	:...
10.	वर्तमान आयु	:...
11.	शैक्षणिक योग्यता	:...
12.	आवेदक द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्य का विवरण	:...
13.	यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए	:...
14.	यदि आवेदक किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध है या वर्तमान में उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसका विवरण	:...
15.	आवेदक पीएलवी के रूप में किस स्थान पर स्वेच्छा कार्य करने हेतु तैयार है।	: 1.कोटपूतली मुख्यालय 2. तालुका बानसूर, 3. तालुका बहरोड 4 तालुका विराटनगर 5. पंचायत समिति पावटा
16.	आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, **N.G.O** या किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण लिखें।	: ....
17.	यदि आवेदक पी.एल.वी. के रूप में कार्य कर रहा हो/कर चुका हो, तो उसका विवरण	: ....

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं.. सत्यापित करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है। मैं किसी भी राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से जुडा हुआ/जुड़ी हुई नहीं हूँ।

दिनांक : (आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)